न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
03 / 2024	15.04.2024	10-10-25

पीठासीन अधिकारी— दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1—अशोक कुमार पुत्र नन्दकिशोर जाति मेघवाल निवासी उकल्दा हाल निवास कमलपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान

2—प्रियंका पुत्री नन्दकिशोर जाति मेघवाल निवासी उकल्दा हाल निवास गाडिया मन्दिर मोहल्ला अटरु जिला बारां राजस्थान

3— शालू पुत्र नन्दकिशोर जाति मेघवाल निवासी उकल्दा हाल नि0 भोज्याखेडी जिला बारां

4—संतोष बाई पत्नी स्व० नन्दकिशोर जाति मेघवाल निवासी उकल्दा हाल निवास कमलपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान

5— मूर्ति बाई पुत्री मोत्या जाति मेघवाल निवासी सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा

6— शान्ति बाई पुत्री मोत्या जाति मेघवाल निवासी मेदपुरा मोहल्ला सुल्तानपु र तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान (वादी)

बनाम

1— राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से — श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से — तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरूस्ती

—:: निर्णय ::—

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :—

1— यह कि वादीगण व अन्य सहखातेदारों के शामलाती खाते की आराजी ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद मे खाता संख्या 215 खसरा न० 446 रकबा 1.16 है0 भूमी स्थित चली आ रही है जिसमे वादीगण के साथ साथ अन्य सहखातेदारो के भी नाम दर्ज चले आ रहे है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 संलग्न है।

2— यह कि वादीगण का उक्त आराजी में हिस्सा निहित चला आ रहा है व अपने हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। किन्तु वादीगण की जाति उक्त खाते मे चमार दर्ज चली आ रही है जबकि जाति चमार शब्द अपमानीत शब्द में आने से उक्त जाति चमार की जगह मेघवाल दर्ज करवाना चाहते है।

3— यह कि उक्त बादीगण के आधार कार्ड, पेन कार्ड बैंक डायरी आदि मे मेघवाल जाति दर्ज है अन्य गैर सरकारी व सरकारी दस्तावेजो में भी जाति मेघवाल दर्ज है। जब कि ग्राम उकल्दा की जमाबन्दी मे चमार जाति दर्ज हो रही है जो वादीगण को अपनी जाति चमार के स्थान पर मेघवाल करवाने कानूनी अधिकार प्राप्त है। इस लिये वादीगण की जाति दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

4— यह कि वादीगण द्वारा उक्त चमार जाति सही करवाने के लिये तहसीलदार महोदय को कही बार प्रार्थना पत्र पेश किये गये किन्तु वादीगण की जाति आज तक चमार की जगह मेघवाल दर्ज नहीं की गई जो अन्तिम बार दिनांक दि० 19/03/2024 को प्रतिवादी से जाति सही करने हेतु कहां तो प्रतिवादी ने कोई ध्यान नही दिया और मना करने पर उक्त वाद कारण पैदा हुआ है।

5— यह कि वाद कारण दिनांक 19/03/2024 को उत्पन्न हुआ जब कि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमी के राजस्व रिकार्ड मे वादीगण की जाति दुरुस्त नही करने की कहने पर पैदा हुआ ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद मे खाता संख्या 215 खसरा नं0 446 रकबा 1.16 है० भूमी स्थित चली आ रही ही जिसमे वादीगण की जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज किये जाने और राजस्व रेकार्ड मे दुरुस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरुद्ध आज्ञा व डिकी पारित की जावें

1— यह कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर रिपोर्ट न्यायालय मे भिजवाये ।

2— कि वाद व्यय वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

3— यह कि अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावे ।

वादीगण की ओर से निम्न लिखित दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये हैः—

1. नकल जमाबन्दी ग्राम उकल्दा सवंत् 2074—2077 खाता सं0नया 215
2. नकल आधार कार्ड तथा पेन कार्ड व पेनकार्ड रसीद वादीगण

वाद पत्र दर्ज रज़िस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जवाब सरकार शामिल मिसल किया गया। पत्रावली को साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्य PW1 में स्वंय वादी अशोक कुमार आत्मज नन्दकिशोर जाति मेघवाल निवासी उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया।

प्रकरण मे बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध जवाब सरकार, दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रकरण में वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है वादी क्र0 1 की जाती चमार के स्थान पर बलाई दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद मे खाता संख्या 215 खसरा नं0 446 रकबा 1.16 है० भूमी में वादी क्र0 1 की जाती चमार के स्थान पर बलाई दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1–अशोक कुमार पुत्र नन्दकिशोर जाति मेघवाल निवासी उकल्दा हाल निवास कमलपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान

2–प्रियंका पुत्री नन्दकिशोर जाति मेघवाल निवासी उकल्दा हाल निवास गाडिया मन्दिर मोहल्ला अटरु जिला बारां राजस्थान

3– शालू पुत्र नन्दकिशोर जाति मेघवाल नि0 उकल्दा हाल निवास भोज्याखेडी जिला बारां

4–संतोष बाई पत्नी स्व० नन्दकिशोर जाति मेघवाल निवासी उकल्दा हाल निवास कमलपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान

5– मूर्ति बाई पुत्री मोत्या जाति मेघवाल निवासी सीमलिया तहसील दीगोद जिला

6– शान्ति बाई पुत्री मोत्या जाति मेघवाल निवासी मेदपुरा मोहल्ला सुल्तानपुर दीगोद

(वादी)

बनाम

1– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री भारत शर्मा एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत जाति दुरूस्ती

मिसल न0 03/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्त दिया जाता है कि – वादीगण का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद मे खाता संख्या 215 खसरा नं0 446 रकबा 1.16 है० भूमी में वादी क्र0 1 की जाती चमार के स्थान पर बलाई दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक़ निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 10/10/25 को सरे इजलास जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद